<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर</u>

<u>सरकार——बनाम——शकील अहमद आदि</u>

सत्र परीक्षण सं0—90 / 2015

मु0अ0सं0—23 / 2013
धारा—308,323,504, भा0दं0सं0
थाना—टाण्डा
जिला—अम्बेडकरनगर।

<u>08.12.2021</u>

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सुहेल अहमद स्वयं उपस्थित। अभियुक्तगण शफीक एवं शादाब की हाजिरी माफी प्रर्थनापत्र प्रस्तुत आज के लिए स्वीकृत। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त शकील अहमद की मृत्यु आख्या थाने से प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त आख्या को साबित करने के लिए सी0डब्लू—1 चन्दन प्रधान का साक्ष्य आज दिनांक—08.12.2021 को अंकित हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है, कि अभियुक्त शकील अहमद की थाना से प्राप्त मृत्यु आख्या **प्रदर्श—ख1** में इस आशय की आख्या अंकित है कि '' वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया तो ज्ञात हुआ कि वारण्टी की मृत्यु हो गयी है।'' संबंधित थाना द्वारा सभासद वार्ड नं0—12 मुबारकपुर पूर्वी नगर पालिका परिषद टाण्डा, अम्बेडकरनगर द्वारा जारी मृत्यु तहरीर प्रस्तुत की गयी है। थाना से प्राप्त आख्या एवं उसके साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण—पत्र को सी0डब्लू0—1 सी.पी. चन्दन प्रधान के द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार थाने द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या प्रदर्श—ख1 व सभासद द्वारा दिये गये मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अभियुक्त शकील अहमद की मृत्यु दिनांक—13.12.2019 हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध वाद उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शकील अहमद के विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली दिनांक—07.01.2022 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316